न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 315/2021 निर्णय दिनांक :–19.12.23

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. शोजी पुत्र रामनारायण जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला–टोंक राज0।
2. नर्बदा पत्नि शोजी जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला–टॉक राज0।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील दूनी, जिला–टोंक राज०।
2 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज०।
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दूनी जरिया शाखा प्रबन्धक ।

–अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–

श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार दूनी
अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता सं0 280 खसरा नं0 669 रकबा 1.13 है0 भूमि वाके तन ग्राम धारोला प. ह. सीतापुरा तहसील दूनी जिला–टॉक में स्थित है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि में काश्त करने के लिए खसरा नं0 661 गै. मु. रास्ता मे से खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668, रकबा क्रमशः 0.05 है0, 0. 10 है0, 0.49 है0, 0.48 है0, 0.22 है0, 0.84 है0, 0.25 है0 भूमि में से होते हुऐ आते जाते है और उक्त रास्ते का ही वर्षो से उपयोग कर अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 669 में हकाई, जुताई, बुआई करते आ रहे है। खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 में मौके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 में वर्णित आराजीयात में आने जाने एवं हकाई, बुआई, जुताई आदि कार्य के लिए उपयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ता खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 में है जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है। इस कारण खसरा नं0 669 के उपयोग उपभोग में लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उपरोक्त खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक में दर्ज है। परन्तु प्रभावशाली लोगो द्वारा उक्त खसरा नम्बरान पर अतिक्रमण कर काश्त करते है और प्रार्थीगण का रास्ता बन्द कर दिया है

व आने जाने में मजामहत करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 669 में आने जाने का हकाई, जुताई, बुआई करने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 669 से आता जाता है एवं उपयोग करता है। प्रार्थीगण को खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 में 20 फिट चौडा रास्ता की आवश्कता है। प्रार्थीगण अपनी आराजी भूमि में रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए रास्ता नहीं मांग रहा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 को रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जमा कराने को तत्पर है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी नं0 3 के यहाँ पर प्रार्थीगण की भूमि रहन होने के कारण फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है। जिससे किसी प्रकार की रिलिफ नहीं चाही गई है। अप्रार्थीगण सं० 1 को लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 (।) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 ग्राम धारोला प०ह० सीतापुरा तहसील दूनी जिला–टोंक राज० में से 20 फिट रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 669 में आने जाने के लिए दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:–

प्रार्थी को आराजी ख0न0 669 पर पंहुचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है।

प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता निम्नानुसार होगा–

क्र. सं.	नाम ग्राम	ख. नं.	लं. मी. में	चौ. मी. में	क्षैत्रफल वर्ग मी. में
1.	धारोला	662	32	6.09	194.88
2.	धारोला	664	12	6.09	73.08
3.	धारोला	665	52	6.09	316.68
4.	धारोला	666	44	6.09	268.96
5.	धारोला	667	24	6.09	146.16
6.	धारोला	668	76	6.09	462.84
कुल क्षैत्रफल			198 मीटर		1461.80 वर्ग मी.

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की ग्राम धारोला की डीएलसी दर 265786/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। आराजी ख. न० 669 आवेदक श्योजी पुत्र श्री रामनारायण जाट एवं नर्बदा पत्नी श्योजी

जाट निवासी धारोला के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी आराजी ख. नं. 666, 662, 664, 665, 667, 461, 668 ग्राम धारोला में से रास्ता चाहता है. जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मौके पर कोइ संरचना, पेड, दीवार आदि नहीं है । ख. नं. 666, 662, 664, 665, 667, 461, 668 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। ख. नं. 667 गै. मु. बरड़ा दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिया संलग्न कर सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि वांछित ख. नं. जिसमें से रास्ता चाहिए वह राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि है और ख. नं. 667 गै. मु. बरड़ा है जिसमें से रास्ता देने में कोई कानूनन समस्या नहीं है। उक्त ख. नं. पर दीगर व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। इसलिए रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

तहसीलदार दूनी दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ख. नं. 669 ग्राम धारोला में जाने हेतु ख. नं. 666, 662, 664, 665, 667, 461, 668 ग्राम धारोला में से रास्ता चाहता है। तहसीलदार दूनी ने अपने जवाब/रिपोर्ट/ बहस में कथनानुसार उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में ख. नं. 666, 662, 664, 665, 667, 461, 668 सिवायचक भूमि है और ख. नं. 667 गे. मु. बरड़ा है। किसी अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण/कब्जा के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही किया है। प्रार्थी ने भी अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी दीगर व्यक्तियों के कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह सिद्ध नहीं किया है कि प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क के प्रावधानो के अनुरूप नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित ख. नं. पर दीगर व्यक्तियों को कब्जा होने पर धारा 91 LR Act के अन्तर्गत CA कार्यवाही कर नियमानुसार उक्त विवादित भूमि को कब्जे राज ली जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।